



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 360/2018

दायर दिनांक 02.11.2018

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र रुघाराम 2. जयकिशोर पुत्र रुघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुडोली तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रुघाराम पुत्र मंगलाराम 2. मुकेश पुत्र रुघाराम 3. अशोक पुत्र रुघाराम 4. बिरमा देवी पुत्री रुघाराम 5. सरजुदेवी पत्नी रुघाराम 6. रुकमा देवी पत्नी रुघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 7. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
 घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
 अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादीगण।
2. श्री चेनाराम थोरी वकील प्रतिवादीगण

--: निर्णय :-

दिनांक 18.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 147 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 161 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 161/326 रकबा 0.02 बीघा गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 198 रकबा 0.04 बीघा, खसरा सं0 332/197 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 333/140 रकबा 43 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 06 कुल रकबा 112 बीघा 18 बिस्वा ग्राम केडोली में अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादी सं0 02 ता 04 प्रतिवादी सं0 01 के पुत्र व पुत्रियां है व प्रतिवादी सं0 06 पत्नी है।

वाद पत्र में वर्णित भूमियों का ब्राहमी बंटवारा करीब 10-15 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। मौके पर बंटवारा निम्न प्रकार है:-

कृषि भूमि खसरा सं0 147 रकबा 29.17 बीघा में से 02.19 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 02 के हक में तथा 26.18 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 03 के बंट में आई है।

कृषि भूमि खसरा सं0 161 रकबा 31.10 बीघा में से वादी सं0 01 के हिस्से में 05.07 बीघा, वादी सं0 02 के 04.12 बीघा, प्रतिवादी सं0 03 के 19.16 बीघा तथा प्रतिवादी सं0 01 के बंट में 01.15 बीघा भूमि बंट में आई है।



सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

कृषि भूमि खसरा सं० 332/197 रकबा 07.18 बीघा में से वादी सं० 01 के 03.10 बीघा, वादी सं० 02 के 04.08 बीघा भूमि बंट में आई है।

कृषि भूमि खसरा सं० 161/326 रकबा 0.02 बीघा प्रतिवादी सं० 02 के बंट में आई है।

कृषि भूमि खसरा सं० 198 रकबा 0.04 बीघा वादी सं० 01 हीराराम के बंट में आई है।

कृषि भूमि खसरा सं० 333/140 रकबा 43.07 बीघा में से वादी सं० 02 के 20.10 बीघा व प्रतिवादी सं० 02 के 07 बीघा तथा प्रतिवादी सं० 03 के 15.17 बीघा भूमि बंट में आई है।

इसी प्रकार मौके पर प्रतिवादी सं० 01 न अपने वारिसों का बंटवारा कर कब्जा काशत संभला दिया है। परन्तु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं होने के कारण बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना वादी है कि:-

डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी सं० 01 बहक वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 03 की जाकर पैरा संख्या 01 वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियों का पैरा संख्या 03 वादपत्र में वर्णित अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 07 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं० 01 ता 06 ने इकबालियां जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण का आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद में इकबालियां जवाब पेश हो रखा है। पक्षकार सभी सहमत है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।


आदेश

अतः हस्व दावा जरिये इकबालिया जवाब स्वीकार कर निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

1. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं० 147 रकबा 29.17 बीघा में से 02.19 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 02 के तथा 26.18 बीघा भूमि प्रतिवादी सं० 03 के घोषित की जाती है।
2. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं० 161 रकबा 31.10 बीघा में से वादी सं० 01 के हिस्से में 05.07 बीघा, वादी सं० 02 के 04.12 बीघा, प्रतिवादी सं० 03 के 19.16 बीघा तथा प्रतिवादी सं० 01 के बंट में 01.15 बीघा भूमि घोषित की जाती है।
3. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं० 332/197 रकबा 07.18 बीघा में से वादी सं० 01 के 03.10 बीघा, वादी सं० 02 के 04.08 बीघा भूमि घोषित की जाती है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)


4. वाके सरहद कुडोली खसरा सं० 161/326 रकबा 0.02 बीघा प्रतिवादी सं० 02 के घोषित की जाती है।
5. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं० 198 रकबा 0.04 बीघा वादी सं० 01 के घोषित की जाती है।
6. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं० 333/140 रकबा 43.07 बीघा में से वादी सं० 02 के 20.10 बीघा व प्रतिवादी सं० 02 के 07 बीघा तथा प्रतिवादी सं० 03 के 15.17 बीघा भूमि घोषित की जाती है।
तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सर इजलस (नामो सुजाया)

गया।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नामौर)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 360/2018

दायर दिनांक 02.11.2018

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. हीराराम पुत्र रूघाराम 2. जयकिशोर पुत्र रूघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुडोली तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रूघाराम पुत्र मंगलाराम 2. मुकेश पुत्र रूघाराम 3. अशोक पुत्र रूघाराम 4. बिरमा देवी पुत्री रूघाराम 5. सरजुदेवी पत्नी रूघाराम 6. रूकमा देवी पत्नी रूघाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 7. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा, बंटवारा रेकर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 18.08.2021


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादीगण व श्री चेनाराम थोरी वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, जरिये इकबालिया जवाब दावा स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री जारी की जाती है :-

1. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं0 147 रकबा 29.17 बीघा में से 02.19 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 02 के तथा 26.18 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 03 के घोषित की जाती है।
2. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं0 161 रकबा 31.10 बीघा में से वादी सं0 01 के हिस्से में 05.07 बीघा, वादी सं0 02 के 04.12 बीघा, प्रतिवादी सं0 03 के 19.16 बीघा तथा प्रतिवादी सं0 01 के बंट में 01.15 बीघा भूमि घोषित की जाती है।
3. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं0 332/197 रकबा 07.18 बीघा में से वादी सं0 01 के 03.10 बीघा, वादी सं0 02 के 04.08 बीघा भूमि घोषित की जाती है।
4. वाके सरहद कुडोली खसरा सं0 161/326 रकबा 0.02 बीघा प्रतिवादी सं0 02 के घोषित की जाती है।
5. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं0 198 रकबा 0.04 बीघा वादी सं0 01 के घोषित की जाती है।
6. वाके सरहद कुडोली के खसरा सं0 333/140 रकबा 43.07 बीघा में से वादी सं0 02 के 20.10 बीघा व प्रतिवादी सं0 02 के 07 बीघा तथा प्रतिवादी सं0 03 के 15.17 बीघा भूमि घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.08.2021 को सरे इजलास
 में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 सिहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 सिहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)